## नवीन औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रशासनिक कार्यालय : सैक्टर-6, नौएडा जिला गाजियाबाद (उ.प्र.) सं. नौएडा/परि. प्र./95/ 82 2\_\_\_ अभिनति। मेसर्स Champ Sports (D) Ud K-67, Haus Khas Endard New Delli -1100/6 विषय : नवीन औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक भूखण्ड सं. <u>53D \ 53E</u> ब्लाक सं. 🕠 सैक्टर 🔀 का आबंटन। पंजीकरण संख्या नियडा निस्ति वे /1253/96 प्रिय महोदय/महोदया, कृपया अपने उपरोक्त पंजीकरण सं० द्वारा पंजीकृत आवेदन-पत्र का संदर्भ लें जिसके द्वारा औद्याला औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने के लिए औद्योगिक भूखण्ड के आवंदन हेतु आवेदन किया है। तदानुसार आपको भूखण्ड सं. 53D&53E स्लाक \(\mathbb{W}\) सैक्टर \(\mathbb{L}\) फेस-॥ / फेस-॥ विस्तार का आवंदन \(\mathbb{S}\) के किया जाता है। परियोजना के लिए किया जाता है। / उद्यान के सामने हैं। (द) भूखण्ड का कुल प्रिमियम क <u>136132-81+132812-58</u> = 268945-318.
(य) आबंटन राशि (कुल प्रिमियम का 30 प्रतिशत) <u>80683-59</u> पंजीकरण राशि जो जमा की जा चुकी है के 25000/- / के 50000/- शेष देय आबंटन राशि के <u>30 683 57</u> (पंजीकरण राशि के समन्जस्य के बाद) भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में वृद्धि हो जाने की स्थिति में आबंटी की समानुपातिक रूप से उपरोक्त मूल्य अतिरिक्त भुगतान करना होगा। (ल) शेष 70% धनराशि 15% ब्याज सहित छः माही इक्यूटेड दस किस्तों में देय होगी। यह किस्त ब्याज सहित रु० 📈 - होगी। पहली किस्त दिनांक 3/12.96 को देय होगी। अतः आबंटी से अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त स्तम्भ में दर्शायी गई राशि को संलग्न चालान द्वारा सिंडिकेट कैंक सैक्टर-18, नीएडा में इस पत्र के जारी होने के 30 दिन के अन्दर जमा करा दें। यदि उपरोक्त अवधि में \* hancis du cernertes art of outres?